



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 06 जनवरी, 2010 ई0

पौष 16, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 12/XXXVI(3)/2010/17(1)/2009

देहरादून, 06 जनवरी, 2010

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘पंतजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2009’ पर दिनांक 05 जनवरी, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2010 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

पंतजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) अधिनियम, 2009

(अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2010)

पंतजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंतजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) अधिनियम, 2009 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तरांचल के
स्थान पर
उत्तराखण्ड पढ़ा
जाना

2—पंतजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2006) में जहाँ-जहाँ शब्द "उत्तरांचल आया है, वहाँ "उत्तराखण्ड" पढ़ा जायेगा।

धारा 2 की
उपधारा (1) के
खण्ड (च), (ण),
(द) एवं (प) का
प्रतिस्थापन

3—मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (च), (ण), (द) एवं (प) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे; अर्थात् :-

“(च) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' का तात्पर्य उस पद्धति से है जिसमें राज्य के भीतर शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों, जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर-दृश्य प्रसारण (टेलीकास्टिंग), इन्टरनेट पर ऑनलाइन, दूरसंचार की अन्य पारस्परिक विधियाँ, ई-मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, ई-लर्निंग पत्राचार पाठ्यक्रम, या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो;”

“(ण) 'क्षेत्रीय केन्द्र' का तात्पर्य राज्य में स्थित ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के भीतर स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से की गयी हो;”

“(द) 'अध्ययन केन्द्र' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य के भीतर ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया हो;”

“(प) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित पंतजलि विश्वविद्यालय से है जिसकी समस्त गतिविधियाँ उत्तराखण्ड राज्य के भीतर होंगी और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों और दिशा निर्देशों का पालन करेगा;”

धारा 4 की उपधारा
(3) का प्रतिस्थापन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

“(3) पंतजलि विश्वविद्यालय का मुख्यालय उत्तराखण्ड, हरिद्वार में स्थित होगा तथा जैसे समय-समय पर वह अपनी अधिकारिता के अन्दर राज्य में अन्य स्थानों पर भी परिसर अथवा क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों एवं योग प्रशिक्षण केन्द्रों, अनुसंधान संस्थान आदि की स्थापना कर सकेगा, परन्तु इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य संवैधानिक संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना होगा;”

धारा 6 का
प्रतिस्थापन

5—मूल अधिनियम की धारा 6 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:-

“(6) राज्य में विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, योग प्रशिक्षण व अनुसंधान केन्द्र हो सकते हैं। पंतजलि विश्वविद्यालय राज्य के किसी अन्य अनुसंधान संस्थान व विश्वविद्यालय के साथ सामूहिक अनुसंधान कार्य कर सकता है किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी। राज्य में परिसर के बाहर केन्द्र या अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय मानकों की स्थापना और उसके अनुरक्षण सम्बन्धी) विनियम का भी पालन किया जाना होगा;”

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।